

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग

क्रमांक: प. 4(4)पपा/2021

जयपुर, दिनांक: 02/11/2021

—:आदेश:—

राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान पशुपालन सेवा के निम्नांकित उप निदेशक (विशिष्ट) को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध संयुक्त निदेशक (विशिष्ट), (पुनरीक्षित वेतनमान 2017 की वेतन श्रृंखला एल-19) के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति दिनांक	पदोन्नति का चयन वर्ष
1.	डॉ. देशपाल सिंह	सामान्य	01-04-2019	2019-20

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से पदोन्नति के पात्र है। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा।

आदेश से,

(लक्ष्मीकांत बालोत)  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राज. सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
5. निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर को मय बैठक कार्यवाही विवरण।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा-निदेशक, पशुपालन।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव